न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 29 / 2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00268

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. बाबुराम पुत्र श्री धर्माराम जी, जाति– जाट, निवासी–बस्सी, तहसील–जैतारण, जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालु, जरिये सरपंच, पंचायत समिति–जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) 2. फलमाली समाज हाईकोर्ट ग्राम बस्सी, जरिये हुकमाराम पुत्र श्री पूनाराम जी, जाति–माली, निवासी–आनन्दपुर कालु, तहसील–जैतारण, जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी
अप्रार्थी की ओर से मदनदास वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 20-10-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालू द्वारा अपनी मिसल संख्या 03 / 2002–03 प्रस्ताव संख्या निल दिनांक 5.12.2004 की पालना में पारित पट्टा संख्या 31 को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अंप्रार्थी को तलब किया जाकर ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालु का रेकर्ड तलब किया गया। एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालु द्वारा ग्राम बस्सी की मिसल किसी प्रस्ताव संख्या के अप्रार्थीगण संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी7 पट्टा संख्या 31 जारी कर दिया जो ग्राम के तालाब की पाल का जारी किया गया है। जो तालाब की पाल पर पट्टा जारी कर दिए जाने से निम्न आधारों पर काबिल निरस्त है। जैर निगरानी आदेश प्रस्ताव व विक्रय विलेख विधि व नियमों के विरूद्ध है जो निरस्त करने योग्य है प्रार्थीगण ग्राम बस्सी के निवासी है एवं वार्ड संख्या 17 का वार्ड पंच है तालाब की पाल के पास स्थित अनुमान मंदिर के पास अप्रार्थी संख्या 2 का भवन स्थित है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालु द्वारा पूर्व में दिनांक 13.5.1977 को मिसल संख्या 13 / 1976–77 के जरिये पट्टा संख्या 44 जारी किया हुआ है ग्राम बस्सी तहसील जैतारण में खसरा नंबर 892 रकबा 10.01 बीघा गै.मु. आबादी स्थित है जिस पर बस्सी ग्राम की आबादी बसी हुई है। उसके पास दक्षिण में खसरा नंबर 893 गै.मु. तालाब की भूमी आई हुई है। दोनों के बीच तालाब की पाल आई हुई है। जो 25–30 फिट चौड़ी है तालाब में कुआ है जहां से ग्राम बस्सी के लोग पानी भरते है एवं तालाब की पाल का उपयोग आने जाने के रास्ते के रूप में करते आ रहे है गांव वालों के श्मशान में आने जाने हेतु भी इसी पाल का उपयोग करते है जैर निगरानी पट्टा संख्या 44 के पहले जारी पट्टे में तालाब की पाल है जो पट्टा संख्या 44 के अवलोकन से स्पष्ट है तत्समय सरपंच बिदामी देवी द्वारा दिनांक 05.12.2004 के आदेश के जारी कर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम तालाब की पाल का पट्टा संख्या 31 जारी कर दिया गया है। जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से पूर्व में जारी पट्टे से भी स्पष्ट है इसलिए जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। पूर्व में रामदीन माली निवासी आनन्दपुर कालू का आवेदन इसी भूमी का पट्टा जारी करने बाबत ग्राम पंचायत में पे[illegible]आ जो 30.9.1996 के प्रस्ताव संख्या 04 दर्ज किया गया एवं [illegible] खारिज किया गया है बाद में हुकमाराम पु[illegible] भूमी का पट्टा [illegible] हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 20.7.2002 को मंजूर कर पट्टा [illegible] करने की कार्यवाही प्रारम्भ की एवं जैर निगरानी मि[illegible]ल कायम कर जैर नि[illegible] आदेश की पालना में पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में भूमी का पड़ौस व नाप अंकित नहीं है आवेदन की दिनांक भी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:53 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश...................2

है। न पंचायत द्वारा ही पेश की गई है। प्रार्थना पत्र पर बादामी देवी के हस्ताक्षर है तथा बादामी देवी के द्वारा ही जैर निगरानी पट्टा बतौर सरपंच जारी किया गया है। जो जाति से माली है तथा नियम कायदों को ताक पर रख कर अपने समाज के नाम पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्त योग्य है। इससे ग्राम वासियों का शमशान जाने आने एवं पानी लेने आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हुआ है। पट्टा 4095 वर्गमीटर का जारी किया गया है जो जारी करना का अधिकार पंचायत में निहित नहीं है। पट्टा बाबत जारी आपति इश्तिहार उसमें क्रमांक तथा दिनांक दर्ज नहीं है किस भूमी का जारी किया गया है स्पष्ट नहीं है भूमी के पड़ोस भी अंकित नहीं है मात्र खाना पूर्ति की गई पट्टा पंचायत राज अधिनियम के किन नियमों के तहत जारी किया गया है यह अंकित नहीं है तथा नियमों में विहित प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी नहीं किया गया समस्त लिखित कार्यवाही एक ही पेन से एक दिवस में की गई है इस वजह से भी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित होने से जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी के द्वारा माली समाज की ओर से उनके प्रतिनिधी के रूप में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो मिसल में संलग्न है जिसमें उन्होंने कब्जासुदा प्लॉट का पट्टा पंचायत से नियमानुसार राशि लेकर पट्टा जारी कराने का अनुरोध किया है। जिस पर मिसल कायम की गई है तथा तीन वार्ड पंचों की नियुक्ति आदेशिका दिनांक 20.9.2002 से की जाकर तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 22.9.2002 प्रस्तुत करने पर नक्शा बनाया जाकर उसे शामिल मिसल किया गया है जिसमे नाप चौक स्पष्ट अंकित है भूमी को तालाब की पाल के पास बताया गया है तालाब की पाल का पट्टा जारी नहीं कर पास की आबादी भूमी का जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टा आपसी बातचीत द्वारा पंचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 156 के तहत दिया गया है। जो 3100/- रूपये में जारी किया गया है। एवं 30 दिवस के भीतर आपतियां मांगी गई जो नियम 148 के तहत मांगी जाकर किसी प्रकार की आपति प्राप्त नहीं होने पर जारी किया गया है। हुकमारामजी मात्र प्रतिनिधी के रूप में उपस्थित हुए है जो अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिनिधी होने के नाते उपस्थित दी गई है। बादामी देवी के स्वयं के नाम अथवा परिवार के नाम पट्टा जारी नहीं किया गया है दो गवाहों के बयान हुकमाराम व गिरधारीराम भांबी के बयान लिए जाना आदेशिका दिनांक 5.12.2002 से स्पष्ट है भूमी विक्रय की गई है मात्र कहने के आधार पर पट्टा निशुल्क जारी नहीं किया गया है पंचायत द्वारा अस्थाई निर्णय पूर्व में लिया जाकर बाद में आपतियां प्राप्त नहीं होंने पर बाद राशि जमा कराने के पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार पट्टा पूर्व में जारी पट्टे के पास स्थित फूल माली समाज हाईकोर्ट बस्सी के हक में जारी किया गया जो आपसी बातचीत कर राशि जमा कराने पर नियमानुसार जारी किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालू द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा यथावत रखा जावे।

उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। इस निगरानी के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु निम्न है :-

1. क्या पट्टा गैर आबादी भूमी/तालाब की पाल पर जारी किया गया है?
2. क्या सरपंच बिदामी देवी द्वारा स्वयं को पट्टा जारी किया जा कर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है ?
3. क्या पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है ?

1. निगरानी कर्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी में वर्णित अनुसार पूर्व जारी पट्टा संख्या 44 के पूर्व में तालाब की पाल होना अंकित है अतः यह नियम 140 का उल्लंघन कर पट्टा जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टा पंचायत की नुजूल आबादी भूमी में जारी नहीं किया गया है जो नियम विरूद्ध है इस संदर्भ में नामान्तरकरण जिला उपजिलाधिश के आदेश क्रमांक 799-802 दिनांक 27.10.1978 की पालना में पारित किया गया है जिसके अनुसार ही भूमी की किस्म आबादी दर्ज की गई। जो तालाब की पाल थी उसी को उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आबादी घोषित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:53 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.......................3

उक्त आबादी के खसरा नंबर 892 रकबा 10.01 बीघा 1978 की जमाबंदी संवत 2066–2069 में आज भी दर्ज है। जिसका प्रिमियम पंचायत द्वारा जमा कराने पर ही आबादी घोषित की गई थी उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में पट्टा आबादी भूमी में जारी होना पाया जाता है। जो विधिसम्मत है। पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 56 दिनांक 13.6.2012 के सदंर्भ में की गई तफ्तीश में भी माली समाज के भूखण्ड के दोनों ओर आबादी होना माना है। तथा शमशान भूमी पर जाने का रास्ता अवरूद्ध होना भी नहीं माना है। पुलिस द्वारा इसी आधार पर प्रथम सूचना झूठी पाई जाने से दिनांक 30.11.2012 को बाद जांच अंतिम रिपोर्ट पेश कर स्वीकृती हेतु निवेदन किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि पट्टा नजूल आबादी भूमी में जारी नहीं किया गया है इसलिए पट्टा निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। तथा पुलिस की तफ्तीश दिनांक 13.6.2012 में भी यह पाया गया है जिसमें किसी प्रकार का रास्ता रोका जाना नहीं पाया गया है तथा भूमी को आबादी होना पाया गया है। पट्टे बाबत की गई कार्यवाही अनुसार 5.12.2004 को भी उक्त जमीन को आबादी माना गया है तथा तालाब की पाल के पास की भूमी का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना स्पष्ट है। इस प्रकार निगरानीकर्ता उक्त भूमी का गैर आबादी भूमी होना साबित करने में सफल नहीं हो पाया है। इस कारण से पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

2. आवेदन पर सरपंच के हस्ताक्षर होना बताया है तथा अप्रार्थी द्वारा इसे प्राप्त करने हेतु हस्ताक्षरित बताया है तथा इसलिए सील लगाई जाना उल्लेखित किया गया है। सरपंच बिदामी देवी उक्त समिति की अध्यक्ष/सदस्य थी या नहीं ऐसा कोई तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है साथ ही उक्त पट्टा/प्रस्ताव एक समाज भवन के लिए आपसी बातचीत द्वारा लिया जाना पाया गया है तथा अपने निजी नाम पर अथवा पारिवारिक सदस्य के नाम पर पट्टा जारी किया जाना प्रमाणित नहीं होता है इसमें सरपंच बिदामी देवी का धनीयहित सिद्ध नहीं होता इसलिए पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

3. पंचायत आनन्दपुर कालू से प्राप्त मिसल के अनुसार माली समाज की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मिसल कायम की गई है तथा नियमानुसार आदेशिकाएं अंकित है। मिसल में अंकित आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि तीन वार्ड पंचों की कमेटी जैर निगरानी आराजी कें निरीक्षण हेतु गठित की गई एवं मौका निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई जो पत्रावली संलग्न है। आपतियां आमंत्रित करने हेतु इश्तिहार भी जारी किया गया है आपतियां प्राप्त नहीं होने पर दो गवाहों के बयान लिया जाना भी अंकित है तथा आपसी बातचीत से कीमत तय कर बाद अदायगी कीमत के जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है इस प्रकार प्रक्रिया का पालन किया जाना स्पष्ट होने से पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 31 जो ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालू द्वारा अप्रार्थी फूल माली समाज हाईकोर्ट बस्सी के हक में मिसल संख्या 3/20.7.2002 में पारित आदेश दिनांक 5.12.2004 की पालना में जारी किया गया उन्हें यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/10/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:53 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली